पटना, 20 जून 2018 दैनिक जागरण 15

रेरा ने तीन बिल्डरों की सात आवासीय परियोजनाओं पर किया जवाब तलब

दानापुर में पांच और बिहटा व फतुहा की एक-एक आवासीय परियोजना का मामला

राज्य ब्यूरो, पटना : रीयल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथिरिटी (रेरा) बिहार ने मंगलवार को तीन बिल्डरों की सात आवासीय परियोजनाओं पर सवाल खड़ा किया है। साथ ही इन बिल्डरों से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

दरअसल, रेरा को शिकायत मिली है कि ये बिल्डर ग्राहकों को लुभाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बड़े बैंकों के अलावा आइओसी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जैसी संस्थाओं के नाम पर आवासीय परियोजनाएं शुरू की है। इसके तहत बगैर रजिस्ट्रेशन दानापुर, बिहटा और फतुहा में अपार्टमेंट का निर्माण कराया जा रहा हैं।

रेरा ने बिल्डरों के साथ-साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ), इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) और पावरग्रिड कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। पत्र में पूछा है कि क्या वाकई बिल्डरों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कंपनियों से अनुमति लेकर यह आवासीय परियोजनाएं शुरू की हैं या फिर इनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने पत्र में विस्तार से बिल्डरों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के नाम परियोजना का संचालन किए जाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

उन्होंने बिल्डर समूह के नाम और कार्यप्रणाली का जिक्र करते हुए लिखा है कि दानापुर में एसबीआइ नगर, आइओबी नगर, आइओसी नगर, बीओबी सिटी और पावर ग्रिड दानापुर, आइओबी गेलेक्सी, दानापुर बिहटा और पीएनबी गेलेक्सी, पटना-फतुहा एनएच 30 पर निर्माण कराया जा रहा है। बैंकों और कंपनियों को रेरा कानून की ओर भी ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया गया है कि तीन से पांच वर्ष पूर्व शुरू की गई परियोजनाएं अभी तक लंबित है। यह सरासर लापरवाही को इंगित करता है।

- तीन बिल्डरों के खिलाफ एसबीआइ, पीएनबी, आइओबी, बीओबी, आइओसी और पावर ग्रिड के शीर्ष प्रबंधन को लिखा पत्र
- बगैर रजिस्ट्रेशन के दानापुर, बिहटा व फतुहा में अपार्टमेंट का निर्माण कराए जाने की शिकायत

क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन

कानून के मुताबिक 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट या 8 फ्लैट्स से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डील करने वाली कंपनियों या बिल्डर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोजेक्ट डेवलपर या प्रमोटर को बताना होगा कि उसके प्रोजेक्ट को बेचने वाले रीयल इस्टेट एजेंट या डीलर कौन होंगे या कोई रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट या उसका पार्ट की सेल परचेज करता है तो उसे अथॉरिटी के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद हर डील पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा।